# केन्द्र प्रायोजित ''नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन'' योजना का झारखण्ड राज्य में कार्यान्वयन हेतु ''स्टेट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सक्युटिव कमिटी'' की पहली बैठक दिनांकः 20.11.2007 की कार्यावाली

आज दिनांकः 20.12.2007 को अपराह्न 12.30 बजे मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची के सभाकक्ष में केन्द्र प्रायोजित ''नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन'' योजना का झारखण्ड राज्य में कार्यान्वयन हेतु ''स्टेट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सक्युटिव कमिटी'' की पहली बैठक श्री ए०के० सरकार, प्रधान सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक में निम्नांकित सदस्यों एवं आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया :

| क्र.स. | पदाधिकारियों का नाम |
|---|---|
| 1. | श्री ए०के० सरकार, प्रधान सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड। |
| 2. | श्री निस्तार मिंज, कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची। |
| 3. | प्रधान वैज्ञानिक, हार्प, प्लाण्डू, राँची के प्रतिनिधि। |
| 4. | प्रधान वैज्ञानिक, उपराऊ भूमि, चावल अनुसंधान केन्द्र, डेमोटाड़, हजारीबाग के प्रतिनिधि। |
| 5. | लीड बैंक (इलाहाबाद बैंक) के प्रतिनिधि |
| 6. | नाबार्ड, राँची के प्रतिनिधि |
| 7. | स्टेट मिशन डायरेक्टर (निदेशक, समेति, झारखण्ड) |
| आमंत्रित सदस्य | |
| 8. | श्री सुरेन्द्र कुमार, अवर सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, राँची। |
| 9. | उप सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची |
| 10. | उर्जा सचिव के तकनीकी सलाहकार, झारखण्ड, राँची |
| 11. | एस०एल०बी०सी० (इलाहाबाद बैंक) के प्रतिनिधि |

बैठक में श्री ए०के० सरकार, प्रधान सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची ने सभी सदस्यों एवं आमंत्रित अतिथियों को योजना की रूप–रेखा एवं योजना के अधीन राज्य के 5 जिलों के लिए चयनित गतिविधियों से अवगत कराया।

बैठक में स्टेट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सक्युटिव कमिटी के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रस्तावों पर विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गए :

प्रस्ताव संख्या 1: **नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना के अधीन राज्य में चावल उत्पादन कार्यक्रम के अलावा दलहन उत्पादन कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए सभी जिलों में योजना को लागु करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति देने के संबंध में।**

नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना के अधीन राज्य के मात्र 5 जिलों को चावल उत्पादन का कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित किया गया हैं। वे जिले हैं – सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, राँची एवं हजारीबाग। विदित हो की भारत सरकार द्वारा नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत चावल, गेहूँ एवं दलहन उत्पादन कार्यक्रमों को लागु किया गया है। झारखण्ड राज्य में दलहन उत्पादन की काफी अच्छी संभावना है और राज्य की दलहन उत्पादकता दर भी राष्ट्रीय उत्पादकता दर से अधिक है। इसलिए भारत सरकार से अनुरोध किया जा सकता है कि झारखण्ड राज्य में चावल उत्पादन कार्यक्रम के साथ–साथ दलहन उत्पादन कार्यक्रम को भी सम्मिलित करने की स्वीकृति दी जाय।

स्टेट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सक्युटिव कमिटी द्वारा नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना के अधीन चावल उत्पादन कार्यक्रम के साथ–साथ दलहन उत्पादन कार्यक्रम को सम्मिलित करने के साथ–साथ सभी जिलों में योजना को लागु करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

निर्णय : बैठक में सर्वसम्मति से झारखण्ड राज्य को खाद्यान्न की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तथा राज्य में धान एवं दलहनी फसलों के विस्तारीकरण की संभावनाओं के आलोक में नेशलन फुड सिक्युरिटी मिशन योजना के अधीन राज्य में चयनित 5 जिलों को बढ़ाकर सभी जिलों को शामिल करने तथा दलहनी फसलों के विकास के लिए दुमका,

देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, हजारीबाग, चतरा, राँची, गुमला, पलामू, गढ़वा, सिमडेगा तथा लातेहार जिले को सम्मिलित करने पर सहमति प्रदान करते हुए राज्य सरकार स्तर से भारत सरकार को अनुरोध करने की अनुशंसा प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्याः 2 **वर्ष 2007–08 नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना का राज्य कार्य योजना एवं उसकी लागत राशि रू० 774.16 लाख मात्र का राज्य में कार्यान्वयन हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने हेतु अनुमोदन देने के संबंध में।**

राज्य में नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना की कार्य योजना को समेति, झारखण्ड स्तर से तत्काल तैयार किया गया है। इस कार्य योजना को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों, आई०सी०ए०आर० संस्थान के वैज्ञानिकों एवं संबंधित जिले के परियोजना निदेशक (आत्मा) एवं जिला कृषि पदाधिकारी से विमर्श एवं सहयोग से तैयार किया गया है। इस हेतु राज्य के 5 जिलों में गरमा विकास कार्यक्रम के लिए कुल राशि रू० 774.16 लाख मात्र (सात करोड़ चौहत्तर लाख सोलह हजार रूपये मात्र) की कार्य योजना तैयार की गई है।

स्टेट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सक्युटिव कमिटी के माननीय सदस्य द्वारा राज्य में नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना का वर्ष 2007–08 में कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजना को कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

निर्णय : बैठक में सर्वसम्मति से नेशलन फुड सिक्युरिटी मिशन योजना, झारखण्ड का वित्तीय वर्ष 2007–08 में कार्यान्वयन के लिए लागत राशि रू० 774.16 लाख मात्र (सात करोड़ चौहत्तर लाख सोलह हजार रूपये मात्र) की राज्य कार्ययोजना (अनुलग्नक–I) को अनुमोदन प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार को योजना राशि का आवंटन उपलब्ध कराने की अनुशंसा प्रदान की गई।

**प्रस्ताव संख्याः 3** **सभी जिलों के उपायुक्त एवं अध्यक्ष (आत्मा) को जिला कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए निदेश देने के संबंध में।**

नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना के अधीन जिला कार्य योजना का कार्यान्वयन आत्मा के माध्यम से किया जाना है। जिले में योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश, समीक्षा, मुल्यांकन एवं मार्गदर्शन करने हेतु जिले के उपायुक्त एवं अध्यक्ष (आत्मा) को जिला स्तर पर प्राधिकृत करने की आवश्यकता है।

स्टेट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सक्युटिव कमिटी के माननीय सदस्य द्वारा राज्य में नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना का जिला स्तर पर मार्गदर्शन, समीक्षा, मुल्यांकन एवं दिशा–निर्देश प्रदान करने के लिए उपायुक्त एवं अध्यक्ष (आत्मा) को प्राधिकृत करने के लिए विचार–विमर्श एवं इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

निर्णय : बैठक में सर्वसम्मति से नेशलन फुड सिक्युरिटी मिशन योजना का झारखण्ड राज्य के 5 जिलों में जिला स्तर पर मार्गदर्शन, समीक्षा, मुल्यांकन एवं दिशा–निर्देश प्रदान करने के लिए जिले के उपायुक्त एवं अध्यक्ष (आत्मा) को अधिकृत किया गया तथा इस हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची के स्तर से निदेश निर्गत करने की अनुशंसा प्रदान की गई।

**प्रस्ताव संख्याः 4** **जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में डिस्ट्रीक्ट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सक्युटिव कमिटी के गठन हेतु निदेश देने के संबंध में।**

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में जिला स्तर पर नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना के कार्यान्वयन के लिए जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में डिस्ट्रीक्ट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सक्युटिव कमिटी का गठन होना है। इस कमिटी में उपायुक्त के अलावा लाईन विभाग के प्रतिनिधि, नामित प्रगतिशील किसान, कृषक स्वयंसहायता समूह के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थान के प्रतिनिधि, के०वी०के० अथवा जेड०आर०एस० के प्रतिनिधि, परियोजना निदेशक

(आत्मा) एवं जिला कृषि पदाधिकारी अथवा उप निदेशक (कृषि) में से एक–एक सदस्य होगें। अध्यक्ष द्वारा आवश्यकता के आधार पर सदस्यों को नामित किया जा सकता है।

स्टेट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सक्युटिव कमिटी के माननीय सदस्यों द्वारा नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना के अधीन चयनित जिलों में डिस्ट्रीक्ट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सक्युटिव कमिटी के गठन के संबंध में आवश्यक निदेश प्रदान करने हेतु उचित निर्णय किया जा सकता है।

निर्णय : बैठक में सर्वसम्मति से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आलोक में जिला स्तर पर नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना के कार्यान्वयन के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिलास्तरीय फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सयुटिव कमिटी का गठन करने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इस हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची के स्तर से निदेश प्रदान करने की अनुशंसा प्रदान की गई।

**प्रस्ताव संख्याः 5 योजना कार्यान्वयन में पंचायती राज्य संस्था की भूमिका के संबंध में निदेश देने के संबंध में।**

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में जिला स्तर पर नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज्य संस्था के माध्यम से लाभुको का चयन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान एवं मिशन योजना के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किया जाना है।

स्टेट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सक्युटिव कमिटी के माननीय सदस्यों के द्वारा इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

निर्णय : बैठक में सर्वसम्मति से जिला स्तर पर नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्था से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करते हुए लाभुकों का चयन एवं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की स्वीकृति प्रदान की गई।

**प्रस्ताव संख्याः 6** **''नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन'' कार्यक्रम योजना का राज्य में कार्यान्वयन हेतु तकनीकी समिति के गठन करने के संबंध में।**

राज्य के सभी जिलों में ''नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन'' कार्यक्रम योजना के विभिन्न अवयवों पर तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करना अपेक्षित होगा। ताकि राज्य का समेकित रूप से विकास किया जा सके और भारत सरकार द्वारा निर्धारित विकास दर लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिले। इस हेतु राज्य के कृषि विश्वविद्यालय एवं आई०सी०ए०आर० संस्थान के वैज्ञनिकों को तकनीकी समिति में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

**तकनीकी समिति के प्रस्तावित सदस्य :**

1. डॉ० ए०के० सरकार, अधिष्ठाता (कृषि), बी०ए०यू०, राँची
2. डॉ० बी०एन० सिंह, निदेशक (अनुसंधान), बी०ए०यू०, राँची
3. डॉ० बी० मिश्र, विभागाध्यक्ष (मृदा) एवं जैविक खेती विशेषज्ञ, बी०ए०यू०, राँची
4. इ० डी०के० रूशिया, वरीय वैज्ञानिक (कृषि अभियंत्रण), बी०ए०यू०, राँची
5. डॉ० सोहन राम, विश्वविद्यालय प्राध्यापक, पौधा प्रजनन, बी०ए०यू०, राँची
6. डॉ० सबीर अहमद, विश्वविद्यालय प्राध्यापक, सस्य विभाग, बी०ए०यू०, राँची
7. डॉ० जी०पी० श्रीवास्तव, मुख्य वैज्ञानिक (सस्य) एवं दलहन विशेषज्ञ, बी०ए०यू०, राँची

स्टेट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सक्युटिव कमिटी के माननीय सदस्यों द्वारा ''नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन'' कार्यक्रम का राज्य में कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सदस्य के रूप में प्रस्तावित सदस्यों वाली तकनीकी समिति का अनुमोदन दिया जा सकता है।

निर्णय : बैठक में सर्वसम्मति से राज्य में नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सदस्य के रूप में उपरोक्त सभी 07 (सात) सदस्यों को तकनीकी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया तथा

इनके अलावा तकनीकी सदस्य के रूप में डॉ० आर०पी० सिंह 'रतन', निदेशक, प्रसार शिक्षा, बी०ए०यू०, राँची तथा प्रधान वैज्ञानिक, सी०आर०यू०एस०एस०, डेमोटाड़, हजारीबाग को सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

**प्रस्ताव संख्याः 7** **नोडल एजेंसी "समेति, झारखण्ड" के निदेशक को स्टेट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्साक्युटिव कमिटी का सदस्य मनोनीत किए जाने के संबंध में।**

राज्य में केन्द्र प्रायोजित "नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन" योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में समेति, झारखण्ड को नामित किया गया है और योजना का सुचारू रूप से संचालन हेतु निदेशक, समेति, झारखण्ड को स्टेट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सक्युटिव कमिटी का सदस्य मनोनीत किया जाना अपेक्षित है। बैठक पर इसपर निर्णय लिया जा सकता है।

**निर्णय :** बैठक में सर्वसम्मति से स्टेट फुड सिक्युरिटी मिशन एक्सक्युटिव कमिटी के सदस्य के रूप में नोडल एजेंसी के निदेशक, समेति, झारखण्ड को मनोनित किया गया।

**प्रस्ताव संख्याः 8** **अन्यान्य प्रस्ताव : अध्यक्ष की अनुमति से अन्यान्य प्रस्ताव लाया जा सकता है।**

अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

(हस्ताक्षर) 20.12.07
**प्रधान सचिव,**
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 3–कृषि–के०प्रा०यो० / एन.एफ.एस.एम. / 2007–08 / 1024 राँची, दिनांकः 20.12.2007

**प्रतिलिपि** : मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20.12.07
**प्रधान सचिव,**
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांकः 3–कृषि–के०प्रा०यो० / एन.एफ.एस.एम. / 2007–08 / 1024 राँची, दिनांकः 20.12.2007

**प्रतिलिपि** : सलाहकार (कृषि), योजना आयोग, भारत सरकार, योजना भवन, नई दिल्ली–110001 / श्री एस०एल० भट्ट, अपर सचिव (बीज एवं टी०एम०ओ०पी०), कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 / श्री मुकेश खुल्लर, संयुक्त सचिव (फसल) एवं मिशन डायरेक्टर, नेशनल फुड सिक्युरिटी मिशन, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली / श्री नीराजा अदीदम, निदेशक (फसल), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली / डॉ० एम०सी० दिवाकर, निदेशक (चावल), पाटलीपुत्रा कोलोनी, पटना, बिहार / निदेशक (दलहन).दलहन विकास निदेशालय, विध्यांचल भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.07

**प्रधान सचिव,**
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 3–कृषि–के०प्रा०यो० / एन.एफ.एस.एम. / 2007–08 / 1024 राँची, दिनांकः 20.12.2007

**प्रतिलिपि** : आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची / आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग / आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका / आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, पलामू / आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) / संबंधित जिलों के उपायुक्त एवं अध्यक्ष (आत्मा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.07

**प्रधान सचिव,**
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 3–कृषि–के०प्रा०यो० / एन.एफ.एस.एम. / 2007–08 / 1024 राँची, दिनांकः 20.12.2007

**प्रतिलिपि** : कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची / कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची / अधिष्ठाता (कृषि), बी०ए०यू०, राँची / निदेशक, अनुसंधान, बी०ए०यू०, राँची / प्रधान वैज्ञानिक, हार्प, प्लाण्डू, राँची / प्रधान वैज्ञानिक, सी०आर०यु०आर०आर०एस०, डेमोटाड़, हजारीबाग / लीड बैंक (इलाहाबाद बैंक), राँची / नाबार्ड, राँची / स्टेट मिशन डायरेक्टर एवं निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव (योजना), कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची / उर्जा सचिव के तकनीकी सलाहकार, उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.07

**प्रधान सचिव,**
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग
झारखण्ड, राँची।

## ANNEXURE – I

## SUMMARY OF STATE ACTION PLAN FOR DISTRICT WISE FINANCIAL ACTION PLAN UNDER NATIONAL FOOD SECURITY MISSION (NFSM) OF JHARKHAND STATE FOR THE YEAR 2007-08

(Rs. in Lakhs)

| Sl. No. | Area of Activities under NFSM in Jharkhand State | Abstract of district action plan of Jharkhand State | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ranchi | Simdega | Hazaribagh | Gumla | West Singhbhum | Total |
| 1. | Demonstrations | 67.5 | 100.00 | 26.25 | 202.50 | 100.00 | **496.25** |
| 2. | Increase in SRR | 3.85 | 24.75 | 8.25 | 9.00 | 24.75 | **70.60** |
| 3. | IPM+INM | 2.24 | 3.225 | 1.18 | 7.62 | 3.225 | **17.49** |
| 4. | Conoweeders | 0.18 | 0.27 | 0.18 | 0.54 | 0.27 | **1.44** |
| 5. | Drum Seeder | 0.30 | 0.45 | 0.15 | 0.90 | 0.45 | **2.25** |
| 6. | Rotavators | 1.20 | 1.80 | 0.60 | 3.60 | 1.82 | **9.02** |
| 7. | PowerTiller | 2.40 | 3.60 | 1.20 | 7.20 | 3.60 | **18.00** |
| 8. | Peddler | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | 0.30 | **1.60** |
| 9. | Rotary Breeder | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.90 | 0.45 | **2.40** |
| 10. | Pumpsets | 7.50 | 11.25 | 4.50 | 24.00 | 11.25 | **58.50** |
| 11. | Sprinkler sets | -- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | FFS Training | 4.42 | 6.80 | 3.40 | 13.26 | 5.78 | **33.66** |
| 13. | Miscellaneous | 10.00 | 14.10 | 5.45 | 19.80 | 13.60 | **62.95** |
| **Grand Total of DAP under NFSM in Jharkhand State** | | **100.09** | **166.995** | **51.66** | **289.92** | **165.495** | **774.16** |

Director
SAMETI, Jharkhand

Principal Secretary (Agriculture)
Dept. of Agriculture & Cane Dev.
Govt. of Jharkhand, Ranchi